भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4904

उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025

मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति

4904. डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्रीमती स्मिता उदय बाघ:
श्री मनोज तिवारी:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री नव चरण माझी:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी, 2025 तक विशेषकर छत्तीसगढ़ के महासमुन्द और महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति से कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं और इस संबंध में कितनी राशि संवितरित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त स्थानों में मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति से कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं और इस संबंध में कितनी राशि संवितरित की गई है; और

(ग) उक्त स्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने और भुगतान में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 31 मार्च, 2025 तक पूरे देश में तथा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य जिसमें क्रमशः छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के महासमुंद और जलगांव में, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या और वितरित की गई राशि का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 31 मार्च, 2025 तक पूरे देश में तथा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य जिसमें क्रमशः छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के महासमुंद और जलगांव जिले/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों की संख्या और वितरित की गई राशि का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): विस्तृत विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है।

संलग्नक-I

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4904 के भाग (क) में उल्लिखित संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र राज्यों में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई कुल राशि तालिका में दी गई है:

(i) अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	जारी केंद्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
जारी की गई कुल राशि (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	22.41	478.05
छत्तीसगढ़ राज्य	0.21	5.22
महाराष्ट्र राज्य	शून्य	जारी नहीं किया गया क्योंकि राज्य ने केंद्रीय हिस्से के भुगतान के लिए राज्य के हिस्से के भुगतान का कोई डेटा साझा नहीं किया है।
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़	0.01225	0.27
जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र	जारी नहीं किया गया क्योंकि राज्य ने केंद्रीय हिस्से के भुगतान के लिए इस विभाग को राज्य के हिस्से के भुगतान का कोई डेटा साझा नहीं किया है।	

(ii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
छत्तीसगढ़ राज्य	राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण इसे जारी नहीं किया गया।	
महाराष्ट्र राज्य	5.99	5.56
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार डेटा नहीं रखा जाता।	
जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र		

(iii) दिव्यांग छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
छत्तीसगढ़ राज्य	60	0.07
महाराष्ट्र राज्य	0	0
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार डेटा नहीं रखा जाता।	
जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र		

(iv) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
छत्तीसगढ़ राज्य	शून्य	
महाराष्ट्र राज्य		
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़		
जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र		

(v) अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़	5,494	1.44
जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्र प्रायोजित मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रही है।	

संलग्नक-II

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4904 के भाग (ख) में उल्लिखित संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र राज्यों में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी की गई कुल राशि तालिका में दी गई है:

(i) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
जारी की गई कुल राशि (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	48.53	5661.86
छत्तीसगढ़ राज्य	0.88	40.43
महाराष्ट्र राज्य	3.83	972.38
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़	0.099	4.10
जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र	0.253	44.74

(ii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं

	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
छत्तीसगढ़ राज्य	2.70	25.27
महाराष्ट्र राज्य	एसएनए खाते में पहले से ही धनराशि उपलब्ध होने के कारण इसे जारी नहीं किया गया।	
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।	
जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र		

(iii) दिव्यांग छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
छत्तीसगढ़ राज्य	183	0.36
महाराष्ट्र राज्य	263	0.69
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार डेटा नहीं रखा जाता है	
जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र		

(iv) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
छत्तीसगढ़ राज्य	शून्य	
महाराष्ट्र राज्य		
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़		
जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र		

(v) अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपए करोड़ में)
महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़	320	0.36
जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के डीबीटी जनजातीय पोर्टल पर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का डेटा (फरवरी, 2025 तक) प्रस्तुत नहीं किया है।	

संलग्नक-III

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4904 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित संलग्नक

समय पर संवितरण सुनिश्चित करने और छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को कम करने के लिए उठाए गए कदम
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियमित क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग/क्लस्टर/क्षेत्रीय बैठकें और/या कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि राज्यों की प्रगति की समीक्षा की जा सके और साथ ही किसी भी लंबित मुद्दे का समाधान किया जा सके। ii. प्रचार-प्रसार और जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन: क. योजना के अंश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम) पर अपलोड किए जा रहे हैं। ख. वर्गीकृत विज्ञापन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में हिन्दी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे हैं। iii. क्षेत्रीय दौरे: अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित अधिकारी उनकी चिंताओं को समझने के लिए राज्यों के विभिन्न संस्थानों का दौरा करते हैं। iv. विभिन्न एजेंसियों/भागीदारों को शामिल करना: लाभार्थियों के आधार को लिंक करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की सेवाएं ली जा रही हैं। पीएमयू स्टाफ को अधिकतम लंबित मामलों वाले जिलों का दौरा करने के लिए भी तैनात किया गया है, ताकि बैंकर्स और संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। v. अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की मासिक समीक्षा:- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मासिक आधार पर योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है, जिसमें योजना की राज्य-वार समीक्षा की जाती है। vi. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) भी स्थापित की गई है। विभाग तृतीय पक्ष के मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा भी करता है। अध्ययनों में पाया गया है कि ये योजनाएं वांछित उद्देश्यों को प्राप्त कर रही हैं और इन्हें जारी रखने की सिफारिश की गई है। vii. इसके अलावा, समय पर छात्रवृत्ति जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) की प्रणाली अपनाई गई है, जो संबंधित योजनाओं के अंतर्गत स्कॉलर्स को छात्रवृत्ति/फेलोशिप जारी करना सुनिश्चित करती है।

*****